

# न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा  
प्रकरण संख्या : 09/2026  
जीसीएमएस नं. : 2026/21

प्रार्थी :-

सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक,  
जिला रसद कार्यालय, बांसवाड़ा

बनाम

अप्रार्थी :-

- श्री विटला डामोर/ पेमा डामोर, हेल्पर भेरुनाथ कचोरी हॉटल, बस स्टेण्ड चौराहा, बागीदौरा
- श्री कचरा कटारा/ हालु कटारा मालिक भेरुनाथ कचोरी हॉटल, बस स्टेण्ड चौराहा, बागीदौरा

उपस्थित

–विभागीय प्रतिनिधि

अप्रार्थीगण स्वयं एवं श्री मनिष त्रिवेदी  
अधिवक्ता

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :- 16-04-2026

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरुपयोग/ अवैध रिफिलिंग/ अवैध भण्डारण के विरुद्ध दिनांक 16.02.2026 से 27.02.2026 तक चलाए गए सघन अभियान के तहत दिनांक 18.02.2026 को बस स्टेण्ड चौराहा बागीदौरा स्थित भेरुनाथ कचोरी हॉटल की जांच उसके हेल्पर श्री विटला डामोर/ पेमा डामोर की उपस्थिति में श्री लालशंकर डामोर प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 1 घरेलू सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है—

क्र. सं.	नाम ऑयल कम्पनी	सिलेण्डर का एस. आर. नम्बर	कुल वजन किग्रा. में	खाली सिलेण्डर वजन	गैस का वजन
1	BPCL	338174 T	20.600	15.700	4.900

श्री विटला डामोर/ पेमा डामोर द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग एवं भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, न ही किसी प्रकार के

साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर पर 01 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन ) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लंघन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 01 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर सत्यम भारत गैस बागीदौरा के प्रतिनिधि श्री धर्मेन्द्र कुमार मईडा/ लालेंग जी को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 18.03.2026 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर श्री मनिष त्रिवेदी अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश किया एवं जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी उक्त हॉटल में कार्य करता है एवं उक्त हॉटल का मालिक नहीं है। कार्यवाही के दौरान मालिक हॉटल पर उपस्थित न होने से उसका नाम दर्ज कर लिया था। प्रार्थी ने उक्त सिलेण्डर को उपयोग में नहीं लिया है।

विभागीय प्रतिनिधि को फर्म मालिक के सन्दर्भ में रिपोर्ट हेतु पाबंद करने पर दिनांक 08.04.2026 को जरिये रिपोर्ट अवगत कराया कि इस प्रकरण में फर्म मालिक श्री कचरा पिता हालु कटारा है, जिनको पक्षकार बनाने निवेदन किया। प्रकरण में फर्म मालिक श्री कचरा पिता हालु कटारा को पक्षकार बनाने स्वीकृति दी जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया।

दिनांक 16.04.2026 को श्री कचरा पिता हालु कटारा उपस्थित हुए। इनकी ओर से श्री मनिष त्रिवेदी अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश किया एवं जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जब्तशुदा सिलेण्डर जो प्रार्थी भरवाकर अपने धर ले जा रहा था जिस बीच प्रवर्तन अधिकारी द्वारा निरीक्षण के समय उक्त सिलेण्डर हॉटल के बाहर रखा हुआ था। उक्त सिलेण्डर को हॉटल के उपयोग में नहीं लिया है। कार्यवाही ड्रॉप किये जाने के आदेश फरमावे

परिवादी की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। परिवादी ने कथन किया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरों के दुरुपयोग/ अवैध रिफिलिंग/ अवैध भण्डारण के विरुद्ध दिनांक 16.02.2026 से 27.02.2026 तक चलाए गए सघन अभियान के तहत दिनांक 18.02.2026 को बस स्टेण्ड चौराहा बागीदौरा स्थित भेरुनाथ कचौरी हॉटल की जांच उसके हेल्पर श्री विटला डामोर/ पेमा डामोर की उपस्थिति में श्री लालशंकर डामोर

  
जिला कलेक्टर  
बांसवाड़ा (राज.)


प्रवर्तन अधिकारी, श्री सुनील कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। मौके पर 1 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु करना पाया गया। श्री विटला डामोर/ पेमा डामोर द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग एवं भण्डारण के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर पर 01 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु करना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन ) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लंघन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 01 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किया जाकर सत्यम भारत गैस बागीदौरा के प्रतिनिधि श्री धर्मेन्द्र कुमार मईडा/ लालेंग जी को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से उपरोक्तानुसार व्यवसायिक स्थान पर 1 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करना पाया गया है। पत्रावली के संलग्न फर्म मौका एवं जब्ती पर मौके पर मौजूद अप्रार्थी सं. 1 के हस्ताक्षर अंकित है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक फर्म पर घरेलु गैस का उपयोग किया जाना व भंडारण किया जाना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 01 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 16-04-2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(डॉ. इंद्रजीत यादव)  
जिला कलक्टर  
बांसवाड़ा (राज.)